

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 15/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री जोरावरमल पुत्र श्री भूरालाल बलाई बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.
मु0पो0 रूपपुरा, तहसील आसीन्द, जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 08-03 .2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 451580 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 16.12.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है एवं अब उक्त अपील आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 08-03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा